

जहर उाल रहे औद्योगिक क्षेत्र के केमिकल, उद्योगों के आगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नतमस्तक

कानून से बड़ा कोई नहीं कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत सिर्फ किताबी जुमला बन कर रह गया

माही की गूंज, मेघनगर।
इमरान शैख

लोग जहरीला पानी और जहरीली सांसें लेने को मजबूर है।

समाचार प्रकाशित किए मगर हवा, पानी में जहर की जिम्मेदार इन बड़ी मछलियों पर कोई टोस कार्रवाई नहीं हुई।

ना ग्रीन बेल्ट, ना ट्रीटमेंट प्लांट फिर कैसे जारी हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र...?

इन केमिकल उद्योगों के पास ना वर्तमान में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है अगर है भी तो बिकूल जर्जर हालत में दिखावे मात्र के है। ना निर्धारित



ब्रोमोस केमिकल, ट्रेट केमिकल, मेघनगर आर्गेनिक, राठौर फार्मासिटिकल, अंजनीया इंडस्ट्रीज सहित सब केमिकल और अन्य उद्योगों को मिली पर्यावरण अनापत्ति मिलने के बाद यही सामने आया कि, नियम विरुद्ध सब कर रहे हैं निर्धारित शर्तों का उल्लंघन।

संवधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार प्रदाय करता है और कहता है कि, कानून के समक्ष सब लोग समान है। कानून से ऊपर कोई नहीं, मगर धरातल पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित केमिकल उद्योग है। इन माफियाओं के सामने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और मानो पूरा प्रशासन नतमस्तक है। औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में ब्रोमोस केमिकल, ट्रेट केमिकल, मेघनगर आर्गेनिक, राठौर फार्मासिटिकल, अंजनीया इंडस्ट्रीज सहित कई केमिकल प्लांट स्थापित है, मगर ये सभी केमिकल प्लांट किसी भी तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए बने कानूनों के निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। ये प्लांट सारे क्षेत्र के जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इन उद्योगों को जल और वायु के अंतर्गत मिली अनापत्ति प्रमाण पत्र की सभी शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा इनको जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरंतर बेरोकटोक जारी रखे जा रहे हैं, जिससे साबित होता है की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की इनके साथ खुली साँठ-गाँठ है। जिस कारण क्षेत्र के लाखों

धुंए मात्र से एक रात में जल रई फसल, शहर को मिलने वाली नल जल योजना का पानी दूषित, गाय बैल जैसे जानवर मरे, इसानों का वया होगा हाल

इन केमिकल उद्योगों से निकलने वाले धुंए मात्र से कुछ दिन पहले फूट तालाब के किसानों के खेतों की फसलें जल गईं। ब्रोमिन, एच एसिड, एसिडिक एसिड जैसे घातक रसायन सारे क्षेत्र की हवा और जल स्रोतों में पूर्ण रूप से घुल चुके हैं। जिस दूषित पानी को पीने से कई गाय, बैल मर चुके हैं, मेघनगर क्षेत्र को 32 करोड़ की योजना से मिला पीने का पानी इन केमिकल उद्योगों ने दूषित कर दिया। जिस से उसे बंद करना पड़ा। हवा पूर्ण रूप से जहरीली हो चुकी है, पूरे क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य जीवन यापन करना मुश्किल हो चुका है। मगर इन रसूखदार माफियाओं पर तमाम कानूनों का उल्लंघन करने के बाद भी कोई टोस कार्रवाई नहीं होती है। जनता, समाजसेवी, राजनेता सबने बड़े-बड़े आंदोलन किए, शिकायतें की, अखबारों ने

क्षेत्र और मात्रा में इनके द्वारा पौधारोपण किया गया है, ये दूषित पानी निरंतर भूमि में छोड़कर भू-जल को दूषित कर रहे हैं। जिस कारण बजाए इन उद्योगों को मिला अनापत्ति प्रमाण-पत्र जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 32 का उल्लंघन करने पर निरस्त करने के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आर्थिक साँठ-गाँठ कर रिनियुवल कर देते हैं। ना ही स्थानीय प्रशासन लोक बाधा से मुक्ति दिलवाने के लिए उनको दी गई भारतीय नागरिक सुक्षा संहिता की धारा 152 का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतिजन आमजन व जीव जन्तु का जीवन खतरों में डालने का कार्य ही ये जवाबदार कर रहे है।

बाजार बैठक शुल्क: रसीद 20 रुपये की वसूली 50 रुपये की...?

माही की गूंज, खवासा।
सुनील सौलंकी



50 रुपये की वसूली की बात करने वाले व्यापारी बाद में रसीद द्वारा बनाए गये वीडियो में 20 रुपये की वसूली की बात कही।

किसी भी स्थानीय परिषद की आय हेतु एक व्यवस्था अनुरूप बाजार बैठक शुल्क लिया जाता है। उक्त शुल्क ग्राम या शहर में हाट बाजार हो या अन्य दिन जो व्यापारी, हाथ टेला या किसी वाहन पर बैठकर कोई दुकान शासकीय परिसीमन में लगाता है। उक्त दुकानदारों से स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क वसूला जाता है। जिसकी बकायदा स्थानीय परिषद की रसीद भी व्यापारी को दी जाना होती है। उक्त शुल्क की वसूली हेतु स्थानीय निकाय के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर टेंडर द्वारा ठेका भी दिया जाता है। उक्त ठेके में यह ठेका प्राप्त करने वाले के साथ स्थानीय निकाय का अनुबंध भी रहता है कि, वह ठेकेदार या उसके कर्मचारी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित राशि वह भी रसीद के साथ ही प्राप्त कर सकता है। निर्धारित राशि से अधिक या बिना रसीद के वसूली करने पर टेंडर निरस्त करने के साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है।

ग्राम पंचायत खवासा की बात करें तो 2024-25 हेतु बाजार बैठक शुल्क का टेंडर विधिवत कर राव पिता कैलाश चंद्र मालवीय निवासी खवासा ने यह टेंडर 3 लाख 80 हजार रुपये में प्राप्त किया। लेकिन रक्षाबंधन के दौरान शनिवार लौहाहारा हाट में सामने आया कि, रवि मालवीय ने ग्राम पंचायत

से निर्धारित शुल्क 20 रुपये के बदले रसीद 20-20 रूपए की दी गई और 40 से 50 रुपये की अवैध वसूली व्यापारियों से की गई। वहीं कई व्यापारियों ने भी वीडियो कैमरे के सामने बताया कि, रवि मालवीय ने रसीद 20 रुपये की दी और वसूली 50 रुपये की। किसी व्यापारी ने 20 रुपये से अधिक देने से मना किया तो उस व्यापारी के पास अपने चार-पांच पटो को ले जाता और जबरदस्ती दादागिरी के साथ 50 रुपये की मांग करता और फिर व्यापारी भी 50 रुपये नहीं देने की बात पर अड़ जाते, उस व्यापारी से 40-50 रुपये रवि मालवीय लेकर आया। यह व्यापारियों की मुहजुबानी माही की गूंज के पास में मयप्रमाण के वीडियो है।

वही टेंडर प्राप्त रवि मालवीय ने भी अपने बचाव में एक वीडियो व्यापारियों का बनाया जिसमें वह व्यापारी भी है जिन्होंने 50 रुपये लेना बताया, बाद में रवि मालवीय ने दोबारा पूछा गया तो कैमरे के सामने व्यापारी कह रहे हैं 20 रुपये की वसूली रसीद के साथ की गई और 50 रुपये की बात पर हा-ना, हा-ना करते व्यापारी नजर आए। दुसर जारी

वीडियो के बाद यही कहा जाने लगा कि, व्यापारियों को प्रतिदिन या प्रतिहाट व्यापार करने आना है और स्थानीय विवाद व अवैध वसूली के बीच नहीं पड़ उन्हें व्यापार करना है। इसलिए रवि द्वारा बनाए गए वीडियो में रवि जो चाहता था वह व्यापारी ने कह दिया।

मामले में ग्राम पंचायत सचिव कातिलाल परमार से बात की तो बताया कि, यह शिकायत स्थानीय युवाओं के द्वारा ग्राम पंचायत को भी मिली है। शिकायत के बाद ग्राम पंचायत ने रवि मालवीय को लिखित में सूचना पत्र जारी कर हिदायत दी गई है कि, आगे से इस तरह से किसी प्रकार से व्यापारियों से अवैध वसूली की जाती है तो आपका टेंडर निरस्त करने के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत व पूरा घटनाक्रम के बाद रवि मालवीय ने भी पंचायत एवं स्थानीय व्यक्तियों के सामने माफी मांग कर कहा कि, आगे से इस तरह की शिकायत नहीं आएगी न आगे से अवैध वसूली की जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

हमारे यहाँ सभी प्रकार की कीटनाशक दवाईयाँ और कृषि उपकरण मिलते हैं।
प्रो. श्री कमलेश, श्री नरसिंग पाटीदार बनी

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

-: सौजन्य :-
सिद्धी विनायक एगो एजेंसी बनी

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था

हरिनगर विकासखंड थांदला - जिला झाबुआ (म.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री शिवराम श्रीवास्तव
प्रबंधक
सहकारी संस्था हरिनगर

श्री तोलाराम मुनिया
प्रशासक
सहकारी संस्था हरिनगर

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था

परवलिया, विकासखंड थांदला - जिला झाबुआ (म.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री अर्जुन हाड़ा
प्रबंधक
सहकारी संस्था परवलिया

श्री तोलाराम मुनिया
प्रशासक
सहकारी संस्था परवलिया

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था

खजूरी, विकासखंड थांदला - जिला झाबुआ (म.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री भुरसिंह मुणिया
प्रबंधक
सहकारी संस्था खजूरी

श्री तोलाराम मुनिया
प्रशासक
सहकारी संस्था खजूरी

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था

बड़ी धामनी, विकासखंड थांदला - जिला झाबुआ (म.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस
रक्षाबंधन
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री रमेश मेड़ा
प्रबंधक
सहकारी संस्था बड़ी धामनी

श्री तोलाराम मुनिया
प्रशासक
सहकारी संस्था बड़ी धामनी